

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 432/एफ 2016-04-03313/वित्त/नियम/चार
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 13.10.2017


शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:-सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंको द्वारा छत्तीसगढ़ शासन सिविल पेंशन भोगियों की पेंशन के भुगतान की योजना

राज्य शासन एतद् द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंको द्वारा छत्तीसगढ़ शासन सिविल पेंशन भोगियों की पेंशन के भुगतान की योजना की कंडिका 18 में संशोधन करता है। उक्त योजना में संशोधन की प्रति संलग्न है।


संलग्न:-यथोपरि

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस.के. चक्रवर्ती) 13/10/2017
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
 2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
 3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
 4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
 7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
 9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
 10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
 12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
 13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
 14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
 15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
 16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
 17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु


(राघवेन्द्र कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

क्रमांक : एफ 2016-04-03313/वित्त/नियम/चार :: राज्य शासन एतद्वारा, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा छत्तीसगढ़ शासन सिविल पेंशन भोगियों की पेंशन के भुगतान की योजना में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-


संशोधन

उक्त योजना में,-

कंडिका 18 के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“परन्तु आधार बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन के फलस्वरूप शासकीय एजेन्सी द्वारा ऑनलाईन जारी जीवन प्रमाण पत्र को वैध प्रमाण पत्र स्वीकार किया जायेगा । इस अभिलेख को अधिकृत वेबसाईट के माध्यम से पेंशन संवितरक एजेन्सी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पेंशन संवितरक एजेन्सी द्वारा पेंशन/परिवार पेंशनर की वैयक्तिक उपस्थिति अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जीवन प्रमाण पत्र पर जोर नहीं दिया जायेगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव